

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश
प्रकरण क्रमांक 277 / 2012 सत्रवाद
संस्थिति दिनांक 19-10-2012

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

पिंका उर्फ संदीप श्रीवास पुत्र मुन्नालाल श्रीवास,
उम्र 24 वर्ष, निवासी किशनपुरा थाना अम्बाह जिला
मुरैना म.प्र.। हाल निवासी- एस.ए.एफ लाइन के पीछे
जौरा, थाना जौरा, जिला मुरैना म.प्र.

-----अभियुक्ता

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री एस0के0
तिवारी के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0कं0
726 / 2012 इ0फौ0 से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क्र0
277 / 2012

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह
गुर्जर।

अभियुक्त द्वारा श्री अरविंद वैशांदर अधिवक्ता।

नि-र्ण-य

// आज दिनांक 04.09.2017 को घोषित किया गया //

01. आरोपी पर दिनांक 27.05.2012 के दिन के 03:30 बजे के करीब समता नगर मालनपुर में फरियादी मालती राजावत के आवास के अंदर उसे मारपीट करने के आशय से एवं मारपीट करने की तैयार के साथ प्रवेश कर गृह अतिचार कारित करने एवं उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर फरियादी मालती राजावत को कट्टे से फायर कर इस आशय व ज्ञान से तथा ऐसी परिस्थितियों में कि यदि

उसकी मृत्यु हो जाती तो वह हत्या के दोषी होता उसे कट्टे से फायर कर स्वेच्छया उपहति कारित करने एवं दिनांक 08.07.12 को 15:40 बजे फैक्ट्री के पास मालनपुर में अपने आधिपत्य में एक 315 बोर का कट्टा तथा एक चला हुआ कारतूस का खोका बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखे पाए जाने के संबंध में धारा 452, 307 भा0दं0वि0 एवं धारा 25(1-बी)ए आयुध अधिनियम का आरोप है।

02. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 27.05.2012 को फरियादिया मालती द्वारा घालय अवस्था में अपने पति मुन्नासिंह व बहन आरती के साथ उपस्थित थाना मालनपुर पर इस आशय की रिपोर्ट की, कि वह और उसकी बहन आरती अपने घर के अंदर थीं। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। तभी साढ़े तीन बजे दोहपर की बात है पिंगा तोमर ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया तो उसने पूछा कौन है और दरवाजा खोल दिया। फरियादिया ने उससे कहा कि वह उसके घर पर क्यों आया है, मेरे घर पर मत आया करो, इस संबंध में फरियादिया ने पिंगा तोमर से पहले भी मना किया था। सोई पिंगा ने जान से मारने की नियत से कट्टे से गोली मार दी जो उसके दाएं तरफ छाती के नीचे लगी घोंव होकर खून निकल आया। सोई उसकी बहन आरती आ गई तथा आसपास के लोग भी आ गए तो पिंगा भाग गया। फिर उसने अपने पति को बुलवाया और थाना रिपोर्ट करने आई। उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध धारा 307, 452 भा.द.वि एवं धारा 25/27 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए एवं आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर उसका धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरण्डम कथन लेखबद्ध किया गया, जिसमें उसके बताए अनुसार आरोपी के पेश करने पर एक 315 बोर का कट्टा एवं एक खाली खोका कारतूस का जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग चलाए जाने के संबंध में अभियोजन स्वीकृति ली गई। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत विचारण हेतु अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

03. आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 307, 452 भा0दं0वि0 एवं धारा 25(1-बी)ए आयुध अधिनियम का आरोप पाए जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी ली लेखबद्ध की गई। तत्पश्चात् अभियोजन की ओर से अपने मामले के समर्थन में 08 साक्षियों का परीक्षण कराया गया है।

04. दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है एवं यह अभिकथित किया कि पिंका तोमर निवासी श्यामपुरा को बचाने के लिए उसे झूठा फंसाया गया है।

05. आरोपी के विरुद्ध विचारित किए जा रहे अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 27.05.2012 को दिन के 09:30 बजे समता नगर मालनपुर में फरियादी मालती राजावत के आवास में फरियादिया को उपहति कारित करने की तैयारी के साथ गृहअतिचार कारित किया?
2. क्या उक्त दिनांक समय स्थान या उसके आसपास आरोपी ने मालती राजावत पर कट्टे से फायर कर इस आशय व ज्ञान से एवं ऐसी परिस्थितियों में फायर कर उपहति पहुँचाई कि यदि उक्त उपहति से मालती की मृत्यु हो जाती तो आरोपी हत्या के अपराध का दोषी होता?
3. क्या दिनांक 08.09.2012 को आरोपी के आधिपत्य से एक 315 बोर का तथा एक चला हुआ कारतूस का खोका बिना वैध अनुज्ञप्ति के पाया गया?
4. दण्डादेश यदि कोई हो तो?

॥ साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष ॥

नोट:-

उक्त सभी विचारणीय प्रश्न आपस में एक-दूसरे से संबंधित है, तथ्यों एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सभी विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

06. अभियोजन कथानक अनुसार घटना की आहता मालती एवं चक्षुदर्शी साक्षी आरती के कथन नहीं कराए गए हैं। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से दिनांक 24.06.2016 को साक्षी आरती एवं दिनांक 19.12.2016 को आहता मालती के संभव न कराए जाना दर्शाते हुए साक्षियों का मिलना संभव न हो पाने आधार पर साक्षियों की साक्ष्य नहीं कराए जाने की प्रार्थना न्यायालय से की थी।

07. प्रकरण में साक्षी मुन्नासिंह अ0सा0 1 जो कि आहत मालती का पति है का अपने कथनों में कहना रहा है कि वह सूर्या फैक्ट्री में काम करता है। घटना के समय सूर्या फैक्ट्री में ड्यूटी पर था, आरोपी पिंगा उर्फ संदीप उसके घर आता जाता रहता था। घटना दिनांक को लगभग शाम के चार बजे उसके पास खबर आई कि पिंगा ने उसकी पत्नी मालती को गोली मार दी है वह घायल अवस्था में पड़ी है। फिर जब वह अपने घर पहुँचा तो पत्नी को घायल अवस्था में पड़ी देखा था, उसकी पत्नी के पेट में गोली लगी थी। फिर वह अपनी पत्नी को थाना रिपोर्ट करने ले गया था। इस साक्षी का यह भी कहना रहा है कि पिंगा उसके यहाँ आता जाता रहता था। यह जानकारी राजेश सिकरवार को लगी तो राजेश सिकरवार ने उसकी पत्नी मालती से कहा था कि इसको रोको यहाँ न आए यह जाति का नाई है तो उसकी पत्नी ने पिंगा को रोका तो उसने मालती को गोली मार दी।

08. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी सुरेश रावत अ0सा0 2 का अपने कथनों में कहना रहा है कि वह फरियादी को जानता है और आरोपी को भी जानता है, क्योंकि वह उसके पास ही रहता था। पिंगा उर्फ संदीप का मालती यहाँ आना जाना था। घटना दिनांक 27 मई, 2012 को जब वह फैक्ट्री से ड्यूटी कर के 02:30-03:00 बजे अपने घर वापस आ रहा था और मुन्ना के घर की तरफ जा रहा था तब उसने मालती के घर से पिंगा को भागते हुए देखा था। फिर वह मुन्ना के घर पहुँचा तब तक मुन्ना भी वहाँ आ गया था, उस समय मालती घायल अवस्था में पड़ी हुई थी और जब मालती से पूछा कि क्या हो गया तो मालती ने उसे बताया था कि उसने पिंगा से कहा कि मेरे घर मत आओ करो इसी बात पर से पिंगा ने उसे गोली मार दी है।

09. साक्षी डॉ० बी.एस. तोमर अ०सा० 3 के द्वारा घटना दिनांक को ही आहत मालती पत्नी मुन्ना का परीक्षण किया गया है और इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि उसने मालती के पेट में नाबी से 9 से.मी. ऊपर और 3.5 से.मी. दाहिनी तरफ एक गोलाकार घाँव जो 1 से.मी. था जिसके किनारे अंदर की ओर से मुड़े हुए पाए थे जिससे खून बह रहा था और घाँव के चारों आरे 3.5 से.मी. ब्लेकनिंग उपस्थित थी। इस साक्षी का यह भी स्पष्ट अभिमत रहा है कि आहत मालती को किसी अग्नेयास्त्र से परीक्षण से 6 घण्टे के अंदर चोट पहुँचाई गई थी।

10. साक्षी देवसिंह अ०सा० 5 ने अपने कथनों में इस तथ्य की पुष्टि की है कि दिनांक 18.07.2012 को थाना मालनपुर में मालती के शरीर से निकली हुई एक बुलेट गजेन्द्रसिंह के पेश करने पर उसने जप्त की थी।

11. प्रकरण में साक्षी विनोद विनायक करकरे अ०सा० 6 के द्वारा विवेचना की गई है। इस साक्षी के द्वारा दिनांक 08.07.2012 को पिका उर्फ संदीप को गिरफ्तार करने संबंधी कथन किए हैं तथा आरोपी के द्वारा पूछताछ में एक कट्टा फैक्ट्री के कमरे में बताये जाने तथा जानकारी के आधार पर एक कट्टा एवं चला हुआ खोका जप्त किये जाने संबंधी कथन किए हैं

12. साक्षी देवसिंह अ०सा० 5 ने अपने कथनों में इस तथ्यों की पुष्टि की है कि पुलिस थाना मालनपुर में आरोपी से पूछताछ की थी और उसने एक कट्टा फैक्ट्री के कमरे में छिपाकर रखना और तत्पश्चात् दी गई जानकारी के आधार पर बताए गए सीजन से एक 315 बोर का कट्टा एवं चला हुआ कारतूस जप्त कराया था।

13. बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्री वैशांदर ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि प्रथमतः आहता की साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है और द्वितीयतः अभियुक्त की पहचान स्थापित नहीं है। प्रकरण में कोई पिका सम्मिलित था, किन्तु आरोपी का पिकी नाम होने से उसे मिथ्या रूप से जोड़ दिया गया है

जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी पिका तोमर के खिलाफ लेखबद्ध कराई गई थी।

14. प्रकरण में फरियादी व चक्षुदर्शी साक्षी की साक्ष्य का अभाव है ऐसी स्थिति में जहाँ कि बचाव पक्ष की ओर से पहचान संदिग्ध होने का आधार लिया गया है। प्रकरण में पहचान का विवेचन अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है।

15. प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना दिनांक को ही आहत मालती द्वारा स्वयं लेख कराई गई थी, किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट को न तो अभियोजन द्वारा और न ही बचाव पक्ष की ओर से प्रदर्शित कराया गया है। चूंकि प्रश्नगत प्रकरण में अपराध की सूचना का प्रारंभ प्रथम सूचना रिपोर्ट से हुआ है ऐसी स्थिति में आरोपी की पहचान के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है।

16. प्रथम सूचना रिपोर्ट में आहत मालती को गोली पिका तोमर द्वारा मारने वाली बात लेख है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में न तो पिकी शब्द का उल्लेख है और न ही उर्फ में संदीप का उल्लेख है। साक्षी मुन्नासिंह अ0सा0 1 ने अपने कथनों में किसी भी स्थान पर यह नहीं कहा है कि उसके यहाँ पिका तोमर का आना जाना था, बल्कि साक्षी का यह कहना रहा है कि चूंकि आरोपी जाति का नाई था और इसीलिए राजेश सिकरवार ने कहा था कि पिका जाति का नाई है उसे घर मत आने दो। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि साक्षी मुन्नासिंह अ0सा0 1 ने अपने कथनों में किसी भी स्थान पर ऐसा नहीं कहा है कि आरोपी ही वह व्यक्ति है जो उसके घर आता जाता था।

17. साक्षी सुरेश रावत जो कि प्रकरण के लिए महत्वपूर्ण साक्षी है का भी अपने कथनों में भी यही कहना रहा है कि मालती ने उसे पिकी द्वारा गोली मारने वाली बात बताई थी और फरियादिया के घर से उसने घटना के समय पिकी नाई को भागते हुए देखा था, किन्तु अभियोजन मामला इस प्रकार नहीं है। साक्षी मुन्नासिंह अ0सा0 1, सुरेशसिंह अ0सा0 2 दोनों का ही धारा 161 सी.आर.पी.सी. के कथनों

में यह कथन नहीं आया है कि फरियादिया ने पिका तोमर को आने से मना किया था। यदि इस संबंध में फरियादी मालती के धारा 161 सी.आर.पी.सी. के कथनों का अवलोकन किया जावे तो साक्षी के कथनों में यह स्पष्टीकरण आया है कि उसने खबराहट में पिका की जाति तोमर लिखा दी थी, जबकि वह नाई है।

18. प्रकरण में जिस प्रकार की परिस्थितियाँ आई हैं उससे आरोपी ही वह व्यक्ति है जिसने फरियादिया मालती को गोली मारी गंभीर संदेह हो जाता है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध केवल साक्षी सुरेश अ0सा0 2 के इस आशय के कथन रहे हैं कि मालती ने उसे बताया था कि पिका ने उसे गोली मारी है। साक्षी सुरेश अ0सा0 2 के कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत है, किन्तु किस व्यक्ति के द्वारा गोली मारी गई इस संबंध में गंभीर संदेह है।

19. दांडिक विधि शास्त्र का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया जाना चाहिये, किंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपने न्याय दृष्टांत **बटकू, वैंकटेश्वरलू एवं अन्य विरुद्ध लोक अभियोजक आंध्रप्रदेश राज्य, 2009 (1) सी.सी.एस.सी. (1) (एस.सी.)** में यह अभिमत रहा है कि संदेह युक्तियुक्त होना चाहिये। संदेह युक्तियुक्त कहा जाएगा, यदि वे मूर्त अटकलबाजियों के उत्साह से मुक्त हो। विधि सत्य की अपेक्षा किसी को अनुकूलता प्रदान नहीं कर सकती है। युक्तियुक्त संदेह को गठित करने के लिये उसे अतिभावनत्मक प्रतिक्रिया से मुक्त होना चाहिये। संदेह से साक्ष्य से या उसके अभाव से उद्भूत अभियुक्त व्यक्तियों को दोष के संबंध में वास्तविक और सारभूत संदेह होना चाहिये, जो केवल संदिग्ध आशंका के विरोध में हो। युक्तियुक्त संदेह काल्पनिक, तुच्छ या केवल संभव संदेह नहीं होता, बल्कि कारण एवं सामान्य बुद्धि पर आधारित निष्पक्ष संदेह भी होता है। इसे मामले के साक्ष्य से उत्पन्न होना चाहिये। प्रश्नगत प्रकरण में आरोपी के द्वारा अपराध किया जाना एवं आरोपी की पहचान के संबंध में युक्तियुक्त संदेह मौजूद है।

20. दण्ड विधि शास्त्र का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जितना गंभीर अपराध होता है, साक्ष्य

का मान्य स्तर उतना ही मजबूत व उच्च कोटि का होना चाहिये। विधि न्याय केवल नैतिक दृढ़ विश्वास या संदेह के आधार पर अभियुक्त को दण्डित करने की अनुमति नहीं देती है। दण्डिक विचारण में सबूत का भार कभी भी अंतरित नहीं होता और यह सदैव स्वीकार्य साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त संदेह से परे अपने मामले को साबित करने का भार अभियोजन पर होता है।

21. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्याय दृष्टांत सरवन सिंह, रतन सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य, ए आई आर 1957 एस सी 637 में यह संप्रेक्षण दिया है कि:-

“संपूर्ण रूप से विचारित अभियोजन कहानी हो सकती है सच हो, किन्तु “सच हो सकती है” और “सच होनी ही चाहिये” के बीच गुजरने की अनिवार्य रूप से लंबी दूरी है और यह दूरी पूर्ण रूप से विधिक, विश्वसनीय एवं अनधिकषेपणीय साक्ष्य द्वारा ही पूरी की जानी चाहिये।”

22. गंभीर प्रवृत्ति के मामलों में सबूत का मान्य स्तर क्या हो, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्याय दृष्टांत परमजीत सिंह विरुद्ध उत्तराखंड राज्य 2011 (1) सी सी एस सी 253 (एस सी) में निम्नलिखित मार्गदर्शक संप्रेक्षण दिया है:-

A criminal trial is not a fairy tale wherein one is free to give flight to one's imagination and fantasy. Crime is an event in real life and is the product of an interplay between different human emotions. In arriving at a conclusion about the guilt of the accused charged with the commission of a crime, the Court has to judge the evidence by the yardstick of probabilities, its intrinsic worth and the animus of witnesses. Every case, in the final analysis, would

have to depend upon its own facts. the Court must bear in mind that "human nature is too willing, when faced with brutal crimes, to spin stories out of strong suspicions." Though an offence may be gruesome and revolt the human conscience, an accused can be convicted only on legal evidence and not on accused on the basis of a moral conviction or suspicion alone. "The burden of oroof in a criminal trial never shifts and it is always the burden of the prosecution to prove its case beyond reasonable doubt on the basis of acceptable evidence." In fact, it is a setteld principle of criminal jurisprudence that the more serious the offence, the stricter to convict the accused. The fact since a higher degree of assurance is required to convict the accused. The fact the offence was committed in a very cruel and revolting, lest the shocking nature of crime induce an instinctive reaction against dispassionate judicial scrutiny of the facts and law."

23. प्रकरण में आरोपी के ही द्वारा आहत मालती को उपहति कारित की गई के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है, जिससे यह कहा जा सके कि अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित कर दिया है।

24. प्रकरण में आरोपी पर आयुध अधिनियम के अंतर्गत बिना वैध अनुज्ञप्ति के अग्नायुध

रखने का आरोप है। प्रकरण में साक्षी विनोद विनायक करकरे के द्वारा आरोपी की निशादेही से कट्टा जप्त होने संबंधी कथन किए हैं, किन्तु यहाँ महत्वपूर्ण यह भी है कि मेमोरेण्डम एवं जप्ती का अभियोजन की ओर से कोई स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि पुलिस वल का अन्य सदस्य देवसिंह अ0सा0 7 को ही साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है। प्र.पी. 7 की जप्ती के अनुरूप कट्टा कोडक फैक्ट्री के पास बने खण्डहर फैक्ट्री के कमरे से जप्त होना दर्शाया है। घटना दिनांक 27.05.2012 की दर्शाई गई है, जबकि कट्टे की जप्ती 08.07.2012 की दर्शाई गई है। इतनी लम्बी अवधि के पश्चात् खुले स्थान से आरोपी की निशादेही से कट्टा जप्त करना दर्शाया जाना अपने आप में संदेह उत्पन्न करता है। साथ ही प्रकरण में मेमोरेण्डम व जप्ती की कार्यवाही स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष न किया जाना मामले को और गंभीर संदेहास्पद बना देता है। अतः प्रकरण में जिस प्रकार की साक्ष्य अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गई है, उससे यह नहीं माना जा सकता है कि अभियोजन ने आरोपी के विरुद्ध आरोपी के कब्जे में अवैध अग्नेयशस्त्र होने संबंधी तथ्य को संदेह से परे प्रमाणित कर दिया है।

25. अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों में अभियोजन आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है। परिणामतः आरोपी पिका उर्फ संदीप को संदेह का लाभ देते हुए भा.द.वि की धारा 452, 307 एवं आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख)ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

26. आरोपी जमानत पर है, उसके जमानत, बंधपत्र एवं मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।

27. अपर लोक अभियोजक के माध्यम से निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड को भेजी जावे ।

28. आरोपी का धारा 428 द.प्र.सं के अंतर्गत निरोध प्रमाण-पत्र तैयार कर प्रकरण के साथ संलग्न किया जावे ।

29. प्रकरण में जप्तशुदा 315 बोर का कट्टा व एक 315 बोर के राउण्ड का खाली खोका अपील अवधि पश्चात् उचित निराकरण हेतु डी.एम कार्यालय भिण्ड भेजा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)